न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :— श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः— 15/2018 (225 आर. टी. एक्ट)
आरसीएमएस संख्या — 2018/00060

उनवान

1. रमेश सिंह दत्तक पुत्र गंगा सिंह
2. सोनू सिंह — पुत्रगण रमेश सिंह
3. गजेन्द्र सिंह

जाति जाट निवासी पथैना तहसील भुसावर जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. मयंक उम्र 03 वर्ष पुत्र सौनू सिंह जाति जाट निवासी पथैना तहसील भुसावर द्वारा मॉ श्रीमती पिंकी पत्नी सौनू सिंह जाति जाट निवासी पथैना हाल निवासी ग्राम सामरा तहसील किरावली जिला आगरा।

..... असल रेस्पोंडेंट।

2. सन्तोष पुत्री रमेश सिंह पत्नी रूप सिंह
3. मंजू पुत्री रमेश सिंह पत्नी सुभाष

जाति जाट निवासी अजान तह0 कुम्हेर जिला भरतपुर।

4. संजू पुत्री रमेश सिंह पत्नी कप्तान जाति जाट निवासी तालफरा तहसील कुम्हेर जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रेस्पोंडेंट।

अपील अन्तर्गत धारा 225 आर.टी.एक्ट विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भुसावर दिनांक 07.03.2018 उनवानी मयंक बनाम रमेश सिंह मु0न0 45/2017

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अभिभाषकगण :—

1. वकील अपीलांट श्री महाराज सिंह डागुर उपस्थित।
2. वकील रैस्पोडेण्ट श्री चन्द्रमोहन गुप्ता उपस्थित।

निर्णय दिनांक :— 25.07.2018

1. यह अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भुसावर के आदेश दिनांक 07.03.2018 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में असल रैस्पो0/प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध

अपीलाण्ट/अप्रार्थी इस आशय का पेश किया कि वाद पत्र में अंकित विवादित आराजी वाके ग्राम पथैना तहसील भुसावर में असल रैस्पो0/प्रार्थी 1/12 हिस्से के व अपीलाण्ट/अप्रार्थी संख्या 02, 1/12 हिस्से का एवं शेष अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण प्रत्येक 1/6–1/6 हिस्से के खातेदार काश्तकार काबिज आराजी हैं और इसी के अनुरूप राजस्थान सरकार को लगान अदा करते चले आ रहें हैं। विवादित आराजी संयुक्त हिन्दू परिवार की पैतृक आराजी है, जो असल रैस्पो0/प्रार्थी को उनके परबाबा गंगा सिंह की मृत्यु के पश्चात् अपीलाण्ट/अप्रार्थी संख्या 01 रमेश को विरासतन प्राप्त हुई है एवं रमेश सिंह कर्ता खानदान होने की वजह से उनका नाम रैवेन्यू रिकार्ड में दर्ज हो गये हैं। उक्त आराजी में असल रैस्पो0/प्रार्थी को वाई बर्थ खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। अपीलाण्ट/अप्रार्थीगण आपस में साज किये हुये हैं और असल रैस्पो0/प्रार्थी एवं मॉ को परित्याग किये हुये हैं व विवादित आराजी से असल रैस्पो0/प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को समाप्त करने की नीयत से आराजी को दीगर जगह रहन वय मुन्तकिल करने पर उतारू हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अस्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से आंशिक स्वीकार करते हुये, असल रैस्पो0/प्रार्थी के हिस्से तक, अपीलाण्ट/अप्रार्थी को ता फैसला वाद अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कर दिया। जिससे व्यथित होकर अप्रार्थीगण/अपीलाण्ट ने यह अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने अपील मीमो के तथ्यों को दौहराते हुए तर्क दिए कि अपीलाधीन आदेश उपखण्ड अधिकारी, रूपवास खिलाफ कानून व रूयेदाद मिसिल है, जो काबिल निरस्तनीय है। राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी सम्पूर्ण पर अपीलाण्ट अकेले के नाम खातेदारी दर्ज है तथा मौके पर कब्जा काश्त भी अपीलाण्ट का तन्हा है। अधीनस्थ न्यायालय ने खातेदार काश्तकार के विरूद्ध खण्डनाधीन आदेश देने में भारी त्रुटि की है। न्याय व कानून का यह सर्वमान्य सिद्धान्त है कि खातेदार काश्तकार के विरूद्ध किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है इसलिये आदेश तहत कतई गलत एवं निरस्तनीय है। रैस्पो0 का विवादित आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है एवं ना ही उनका कब्जा काश्त है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय का यथास्थिति रखें जाने का आदेश एक non speaking आदेश है जो सर्वथा व्यर्थ है। अपने तर्कों के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त डीएनजे(एस.सी.) 2013 पेज 627 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर, अपीलाधीन आदेश को निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेण्ट ने जवावी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश विधि अनुरूप है। विवादित आराजी पक्षकारों की पैतृक सम्पत्ति है जिसमें रैस्पो0 को वाई बर्थ खातेदारी अधिकार प्राप्त हैं। अपीलाण्ट विवादित आराजी को दीगर जगह रहन, वय

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

मुन्तकिल करने पर उतारू हैं जिससे रैस्पो0 को अपूर्णनीय क्षति होगी। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण तथ्यों की जॉच उपरान्त ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया गया। रैस्पो0/प्रार्थी ने विवादित आराजी को पैतृक बताते हुए, उसमें अपने 1/12 हिस्सा की घोषणा की प्रार्थना करते हुए, प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम अन्तर्गत निषेधाज्ञा चाही थी। प्रकरण में विवादित भूमि का पक्षकारों के पूर्व पुरूष की होने बाबत् एवं अपीलाण्ट व रैस्पो0 एक ही संयुक्त हिन्दू परिवार के सदस्य होने बाबत् कोई विवाद नहीं है। पक्षकारों के अधिकार वाद में, साक्ष्यों की विस्तृत विवेचना से ही तय हो सकते हैं परन्तु इस स्थिति में प्रथम दृष्टया रैस्पो0/प्रार्थी का दावा विचारणीय है एवं सुविधा सन्तुलन व अपूर्णनीय क्षति भी रैस्पो0/प्रार्थी के हक में ही हैं क्योंकि दौराने वाद विवादित भूमि को खुर्द–बुर्द होने से बचाना वांछनीय है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश देने में हम कोई त्रुटि नहीं पाते हैं। अब प्रश्न है, क्या अधीनस्थ न्यायालय आदेश अस्पष्ट है ? अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आदेश में अंकित किया है कि अस्थाई निषेधाज्ञा, राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति रैस्पो0/प्रार्थी के हिस्से तक जारी की जाती है। अपीलाण्ट की आपत्ति है कि रैस्पो0/वादी का कोई हिस्सा अभी अधीनस्थ न्यायालय ने तय ही नहीं किया है तो उसके हिस्से तक निषेधाज्ञा अनुचित है। हमने गौर किया रैस्पो0 ने विवादित आराजी के 1/12 हिस्से पर दावा किया है। अपीलाधीन आदेश को और अधिक सुस्पष्ट कर देना हम श्रेयस्कर समझते हैं।

6. अतः अपील अपीलाण्ट खारिज करते हुए, अपीलाधीन आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए, आदेश हैं कि अपीलाण्ट/अप्रार्थी, अपीलाधीन भूमि में विवादित 1/12 हिस्से को ता फैसला वाद रहन वय मुन्तकिल नहीं करें। अपीलाण्ट की ओर से प्रस्तुत न्यायिक नजीर 2013 डीएनजे पेज 627 घोषणात्मक वाद के क्रम में है जबकि वर्तमान प्रकरण धारा 212 में निषेधाज्ञा बाबत् है। इसके अलावा दृष्टान्त में यह प्रतिपादित किया है कि कोपरसनर हिस्सा मांगने वाले (बेटे) के जन्म से पूर्व विक्रय हो चुकी भूमि पर प्रश्न नहीं उठाया जावेगा, जबकि वर्तमान प्रकरण में विक्रय शुदा भूमि पर विवाद नहीं है; भूमि विक्रय होने से रोकने का प्रयास है। अतः नजीर हस्तगत प्रकरण पर चस्पा नहीं होती है।

7. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी वैर के निर्णय दिनांक 07.03.2018 यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

8. निर्णय आज दिनांक 258.07.2018 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official